2017
0041/0

गन्नादेवी VS ई-मित्र

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	3/5/24	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रार्थी अधिवक्ता व उनके प्रार्थी उपस्थित नहीं। वकालतनामा प्रार्थी व उनके अधिवक्ता के बारे में जानकारी लगाई गई। इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है। पत्रावली पेश होने प्रार्थना पत्र खारिज होने से संबंधित दस्तावेजों वापस लौटाये जावें। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:23:28 IST
Reason: SelfAttested